राजस्थानसरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग
Directorate of Mines & Geology
खनिज भवन, उदयपुर– 313 001/Khanij Bhawan, Udaipur-313 001
दूरभाष– Phones : (0294) – 2415091-95 Exten. फैक्स/Fax : (0294)-2410526
email – po.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– निदे/प–5(7)2023–24/8 उदयपुर, दिनांकः– 5/01/2024

खुली निविदा सूचना संख्या 03/2023–24

निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन उदयपुर में निम्न सामग्री की प्रदायगी के लिये दिनांक 31.03.2025 तक की दर संविदा हेतु सीलबंद निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है।

क. स.	विवरण	वार्षिक अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू0 में)	बिड सिक्यूरीटी (रू0 में)
ग्रुप–ए	कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी (निविदा प्रपत्रके अनुसार)	6.00	200/–	12,000/–
ग्रुप–बी*	फाईलपेड व फाईल कवर* (निविदा प्रपत्र के अनुसार)	1.50	100/–	750/–

*ग्रुप–बी फाईल पेड व फाईल कवर हेतु निविदा राजस्थान में पंजीकृत एवं स्थित सूक्ष्म और लघु उधमों के लिये आरक्षित है। अन्यों से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

1. निविदा की शर्ते एवं कार्य का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.mines.rajasthan.gov.inएवंhttps://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउन लोड किये जा सकते है।
2. निविदा इस कार्यालय से दिनांक 15.01.2024 तक प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 16.01.2024 दोपहर 01:00 बजे तक है।
4. प्राप्त निविदाए दिनांक 16.01.2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी।

05/1/24

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 दूरभाष – (0294) – 2415091-95
e-mail – po.mg@rajasthan.gov.in

निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देशं :–

1. निविदाऐं राजस्थान में पंजीकृत एवं स्थित सूक्ष्म और लघु उधमों हेतु ही है। निविदादाता निविदा में उल्लेखित जिस आईटम के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहा है उसका उसी आईटम के निर्माण हेतु राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उधमों का पंजीयन होना आवश्यक है। राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उधमों से भिन्न स्त्रोतों से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उधमों को निदेशक, उधोग विभाग या उनके अधीनस्थ जिला उधोग कार्यालयो द्वारा जारी पंजीयन तथा योग्यता (Competence) प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता को सावधानी पूर्वक निविदा प्रपत्र, खुली निविदा सूचना, सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, प्रारूप 'ख' में शपथपत्र, अनुबंध A,B,C,D, तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा प्रपत्र प्राप्त व अध्ययन कर निविदाऐं प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. समस्त निविदा कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
4. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से 100/–रू0 निविदा शुल्क (जो कि वास्तविक निविदा शुल्क रू0 200/– का 50% है) जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदायें दिनांक 15/01/2024 तक निदेशालय के कमरा नम्बर 236 में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र जिस नाम से जारी किये जायेंगें उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट https://www.mines.rajasthan.gov.in व https://sppp.rajasthan.gov.in तथा उधोग विभाग की वंबसाईट https://www.industries.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है, जिसके लिए निविदा शुल्क हेतु राशि रु0 100/–(यदि निविदा कार्यालय में नकद राशि जमा करा कर प्राप्त नही की गई हो तो) का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "Addl. Director Administration" payable at Udaipur." के नाम से देय, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
6. बिड़ सिक्युरिटी (जो कि अनुमानित लागत का 0.5% है) का डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक, "Addl. Director Administration" payable at Udaipur." के नाम से देय, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
7. निविदायें दिनांक 16/01/2024 दोपहर 1:00 बजे तक निदेशालय के कमरा नम्बर 236 में जमा करवायी जा सकेगी। डाक/कुरियर से प्रषित निविदाऐं भी दिनांक 16/01/2024 को दोपहर 01.00 तक ही प्राप्त की जायेगी। देरी से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। निविदायें दिनांक 16/01/2024 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।
8. निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लघु हस्ताक्षर करें । वित्तीय निविदायें अंक और शब्दों दोनों में भरनी अनिवार्य हैं। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।

9. निविदादाता फाईल पेड व फाईल कवर दोंनों या फाईल पेड या फाईल कवर किसी के लिये भी निविदा प्रस्तुत कर सकता है।

10.निविदादाता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उधमों का पंजीयन तथा योग्यता (Competence) प्रमाण पत्र का सत्यापन उधोग विभाग से करवाया जायेगा। केवल उन्ही निविदादाता की तकनीकी बोलीयों पर विचार किया जायेगा जिनके प्रमाण पत्र की पुष्टी उधोग विभाग द्वारा कर दी जायगी।

11.निविदा दिनांक 31.03.2025 तक की दर संविदा हेतु आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा में दर्शाई गई कय की जाने वाली सामग्री की मात्रा अनुमानित है। करार की तिथी से दरें दिनांक 31.03.2025 तक के लिये मान्य होगी एवं कयादेश विभागीय आवश्यकतानुसार जारी किये जायेगें जो कि अनुमानित मात्रा से कम या ज्यादा के हो सकते है। दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

12.निविदादाता को बिड़ के साथ निविदि शुल्क (यदि निविदा वेबसाईट से डाउनलोड़ की गयी हो) व बिड सिक्यूरीटी हेतु दो अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, "Addl. Director Administration" payable at Udaipur." के नाम से देय, होंगे।
2. निविदा शुल्क नॉन रिफन्डेबल होगा। निविदा परिणाम घोषित होने के बाद सफल बोलीदाता को छोड़कर शेष को बिड सिक्यूरीटी राशि शीघ्र लोटा दी जाएगी।
3. बिड सिक्यूरीटी राशि निम्न स्थिति में जब्त कर ली जायेगी :–
   (I) यदि निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के बाद निविदा में संसोधन या निविदा वापस ली जाती है,
   (II) यदि सफल निविदादाता द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट एवं कयादेश में अंकित राशि की 1% राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा नही कराई जाती है।

13. सफल निविदादाता को कयादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में रु0 500/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं कयादेश में अंकित राशि की 1% राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित समस्त व्यय का वहन निविदादाता को ही करना होगा। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी, "Addl. Director Administration" payable at Udaipur के नाम पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक से जमा करानी होगी। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी 18 माह हेतु जमा करानी होगी।

14.परफोरमेन्स सिक्युरिटी निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

(क) "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

15.निविदा प्रपत्र स्याही या टाईप से भरा जावें। पेन्सील से भरा हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा की शर्तो की स्वीकृति के रूप में निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं निविदा के अन्त में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

16.दरे अंको एवं शब्दों में वित्तीय निविदा प्रपत्र में दिये गये स्थान पर ही भरी जावें। कटींग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो वह साफ एवं लघु हस्ताक्षरित हो।

17.निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित एवं निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर में आपूर्ति हेतु FOR डेस्टीनेशन प्रस्तुत करनी होगी।

18.निविदादाता द्वारा कोट की गई दरें वित्तीय निविदा खोलने से 3 माह तक वैध होगी।

19.निविदा का मुल्यांकन आयटमवाईज न्यूनतम बोली (L1) के आधार पर किया जायेगा।

20.विभाग द्वारा मांगे जाने पर बोलीदाता को सेम्पल प्रस्तुत करना होगा।

21.अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस को होगी।

22.अपूर्ण व सशर्त निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।

23.बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष **पक्षपुष्टि के लिए उपार्थना** (Canvassing) करना अयोग्यता होगी।

24.न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है ।

25.सफल निविदादाता को क्रयादेश एवं हस्ताक्षरित अनुबंध अनुसार कार्य को पूर्ण करना होगा। यदि निविदा प्रकिया या कार्य संबंधी कोई संदेह हो तो बोलीदाता दिनांक 15/01/2024 तक कार्यालय समय में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।

26.सामान सप्लाई हेतु क्रय आदेश की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में सामान की आपूर्ति करनी होगी। क्रयादेश में दी गई अवधि से विलम्ब पर सामान आपूर्ति/कार्य सम्पादन करने पर निम्नानुसार विलम्ब शुल्क चार्ज कर भुगतान किया जायेगा।

अ) एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 2.5%

ब) एक चौथाई कालावधि से अधिक परन्तु आधी कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 5%

स) आधी कालावधि से अधिक परन्तु तीन चौथाई कालावधि तक का विलम्ब – मूल्य का 7.5%

द) तीन चौथाई कालावधि से अधिक का विलम्ब – मूल्य का 10%

27.सप्लायर द्वारा सामान आपूर्ति के समय में वृद्धि चाहने के लिये सामान आपूर्ति की अंतिम तिथी से पूर्व निहित परिस्थितियों के वर्णन के साथ आवेदन करना होगा, परन्तु इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

28.सामान सप्लाई एवं बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान का निरीक्षण विभाग की निरीक्षण कमेटी द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा सामान उपयुक्त पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा एवं सामान में अथवा कार्य में कोई भी कमी पाये जाने पर सप्लायर को अपने खर्चे पर सामान रिप्लेस अथवा सही करना होगा ।

29.सामग्री हेतु भुगतान सामग्री आपूर्ति की संतोषप्रद रिर्पोट प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। भुगतान के समय नियमानुसार स्त्रोतों पर कर कटौती एवं GST की कटौती के प्रावधान लागू होंगे।

30.कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा न ही किसी प्रकार का ब्याज दिया जायेगा।

31.भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा।

32.निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगे:–

1. GST नम्बर व GST पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
2. घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)
3. प्रारूप 'ख' में शपथपत्र,
4. निविदादाता निविदा में उल्लेखित जिस आईटम के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहा है उसका उसी आईटम के निर्माण हेतु राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उधमों का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं योग्यता (Competence) प्रमाण पत्र।
5. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित (वर्णित शर्तो नियमों एवं निर्देशो में उनकी स्वीकृति के रूप में) संपूर्ण निविदा दस्तावेज यथा खुली निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, प्रारूप 'ख' में शपथपत्र, अनुबंध A,B,C,D ।
6. जाति प्रमाण पत्र यदि निविदादाता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो।
7. अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो।

33. उपापन का 4% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्वाधिन स्थानीय सूक्ष्म और लघु उधमों से उपापन के लिये निश्चित किया जाएगा।

34.सामग्री की आपूर्ति के लिये कयादेश को निविदादाताओं के उधम की उत्पादन क्षमता की सीमा तक भाग में बांटकर भी दिया जा सकेगा।

35.विभाग में सप्लाई/कार्य हेतु बोलीदाता के कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। सप्लाई/कार्य के दौरान किसी भी नुकसान, क्षति, दुर्घटना के लिए समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

36.निदेशालय में सामग्री आपूर्ति हेतु निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारी की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता अपने लगाये हुए कर्मचारी के आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि से किसी भी नुकसान या क्षति, के लिये बीमा करा सकता है एवं बीमा का सारा खर्च स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा। विभाग द्वारा इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

37.निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर के पास सामग्री आपूर्ति हेतु नियमों और शर्तो को बदलने, सही करने व संशोधित करने का अधिकार होगा।

38.सफल फर्म द्वारा कयादेश/अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर कयादेश/अनुबंध समाप्त करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा एवं इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

39.कोई भी विधिक विवाद होने पर सक्षम न्यायालय उदयपुर में ही वाद दायर किया जा सकता है।

40.वित विभाग के परिपत्र 3/2013, दिनांक 4.02.2013 के अनुसार संलग्न A,B,C व D निविदा तथा अनुबंध का हिस्सा होगें। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के सभी नियम निविदा पर प्रभावी माने जायेगे।

04/01/2019

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रमाण पत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हर चीज नई होगी, जो कि कारीगरी और निर्माण में सभी दोषों से मुक्त होगी, उच्चतम श्रेणी और गुणवत्ता वाली होगी और जो कि सामग्री के लिए स्थापित मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप होगी। हम इसके गुणपूर्णता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

हम यह भी शपथपूर्वक घोषणा करते है कि सामग्री के दोषपूर्ण निर्माण के कारण सामग्री में आये किसी भी दोष/डिफेक्ट/विसंगति के लिये हम सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें और हम इस बात की वारन्टी देते है कि हम सामग्री रिप्लेस को करके ऑन साईट उपलब्ध करायेगें तथा हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क राशि क्लेम नही किया जाएगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
(मय फर्म सील)

घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि निविदा में की गयी **प्रविष्टियां मेरे / हमारे ज्ञान और विश्वास** में सही **हैं। मैं / हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने इस निविदा दस्तावेज में निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसकी पालना करने के लिए सहमत हैं।**

मैं / हम यह मानते हैं कि उपरोक्त तथ्यों / सूचनाओं को झूठा पाया गया तो **डीएमजी, उदयपुर अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी असाइनमेंट को अस्वीकार / रद्द कर सकता है और इस तरह के मामले में मैं / हम उस असाइनमेंट के संबंध में किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होगे ।**

हस्ताक्षर निविदादाता
(मय फर्म सील)

निविदा प्रपत्र

1. सामग्री आपूर्ति हेतु खुली बोली सूचना संख्या 03/23–2024 ग्रुप – बी.....................................
2. निविदादाता का नाम एवं पता ———————————————————
———————————————————
मोबाईल नम्बर ——————————————
ई–मेल——————————————————
3. निविदा शुल्क — नकद रसीद संख्या————दिनांक—————
राशि रु. 100/– जमा करा दिये गये है या
राशि रु. ..../– का डी.डी. / बैंकर चेक
कमांक ———— दिनांक —————
—————————— (बैंक का नाम) संलग्न है।
4. बिड़ सिक्युरिटी — राशि रु. ..../– का डी.डी. / बैंकर चेक
कमांक ———— दिनांक —————
—————————— (बैंक का नाम) संलग्न है।
5. निविदा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैं :–
   1. GST नम्बर व GST पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
   2. घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में) ।
   3. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित (वर्णित शर्तो नियमों एवं निर्देशो में उनकी स्वीकृति के रूप में) संपूर्ण निविदा दस्तावेज यथा खुली निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र, सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध A,B,C,D ।
   4. अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो।
6. मैं/हम निम्नानुसार निविदा दरें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

क्र0 सं0	सामान का नाम	अनुमानित मात्रा	दर प्रति नग (GST सहित)	सामान का मेक
1	फाईल कॅवर	10000 नग		
2	फाईल पेड	2000 नग		
3	लिफाफे प्लास्टिक कोटेड 10"x12"	300 नग		
4	लिफाफे प्लास्टिक कोटेड 16"x12"	300 नग		
5	लिफाफे काफटेड 11"X5"	1000 नग		
6	लिफाफे काफटेड 16"X12"	1000 नग		
7	लिफाफे ब्राउन (12*25 cm) 100-120gsm	3000 नग		
8	बस्ते (100*100cm)	300 नग		
9	क्लॉथ डस्टर	100 नग		

नोट :– *i.कोट की गई सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिये एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर निविदादाता को नमूना प्रस्तुत करना होगा एवं अनुमोदित नमूने के अनुसार ही सामग्री की सप्लाई करनी होगी।*
ii.सामान की मात्रा अनुमानित मात्रा हैं जो कम या ज्यादा हो सकती है।

1. मेरे/हमारे द्वारा अतिरिक्त निदेशक (खान–मु0), उदयपुर द्वारा जारी खुली बोली निविदा सूचना कमांक. 03/23–2024 दिनांक .... एवं इस निविदा प्रपत्र का एवं प्रपत्र के साथ संलग्न संपूर्ण निविदा दस्तावेज तथा शर्तो का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन कर लिया है और समस्त शर्तो से सहमत हुं एवं इन शर्तो व निर्देशो की स्वीकृति के कम में निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2. प्रस्तावित दरें अनुबन्ध की दिनांक से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
3. मेरे द्वारा उक्त दरें सम्पूर्ण बिड़ डॉक्युमेन्ट पढने के बाद ही कोट की गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्ररूप ख
शपथपत्र का रूपविधान

मैं ...., पुत्र .... आयु .... वर्ष, ... का निवासी, मैसर्स .... का स्वत्वधारी / भागीदार / निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि :

(क) मेरे / हमारे उपरोक्त उल्लिखित उद्यम मैसर्स .... को जिला उद्योग केन्द्र .... द्वारा उद्यम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं. .... दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है :

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता (वार्षिक)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) मेरी / हमारी उपरोक्त उल्लिखित उद्यम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उद्योग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उद्यम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे / हमारे उद्यम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिमार्ण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थान :--

हस्ताक्षर
स्वत्वधारी / निदेशक प्राधिकृत
हस्ताक्षरी
मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director (Mines & Geology)
The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary (Mines & Petroleum)

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Ɑ

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.